१०

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

पटना-15, दिनांक.........................

विषयः— विद्यालय सेवा बोर्ड की कार्यावधि में राज्य सरकार द्वारा जमा की गई सरकारी अंशदान की राशि सूद सहित वापस लौटाये जाने की शर्त्त पर, भंग विद्यालय सेवा बोर्ड के बिहार कर्मचारी चयन आयोग में समायोजित 30 (तीस) कर्मियों की बोर्ड में की गई नियमित सेवा की गणना, वेतन संरक्षण, वित्तीय उन्नयन (ए॰सी॰पी॰/एम॰ए॰सी॰पी॰) एवं पेंशन के प्रयोजनों के निमित किये जाने की स्वीकृति।

बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंधन एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम, 1981 की धारा–10 के प्रावधान के अन्तर्गत विद्यालय सेवा बोर्ड का गठन किया गया था। बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंधन एवं नियंत्रण ग्रहण) (संशोधन) अधिनियम, 2004 द्वारा विद्यालय सेवा बोर्ड को भंग करते हुए बोर्ड द्वारा नियुक्त सभी कर्मियों को उक्त संशोधन अधिनियम की धारा–3(3) के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग में अपने ही वेतनमान में तदर्थ रूप से कार्यरत रहने का निर्णय लिया गया तथा उक्त अधिनियम की धारा–3(4) के आलोक में उन कर्मियों की नियुक्ति की वैधता की जाँच हेतु त्रि–सदस्यीय समिति द्वारा निर्णय लिये जाने का प्रावधान किया गया।

2. उक्त प्रावधान के आलोक में तत्कालीन मानव संसाधन विकास विभाग (सम्प्रति शिक्षा विभाग) की अधिसूचना संख्या–149 दिनांक–01.03.2005 द्वारा त्रि–सदस्यीय समिति गठित की गई। त्रि–सदस्यीय समिति ने जाँचोपरांत 30 (तीस) कर्मियों की नियुक्ति को वैध पाया, जिसके आधार पर मानव संसाधन विभाग के कार्यालय आदेश संख्या–874 दिनांक–05.11.2007 द्वारा इन कर्मियों की बिहार कर्मचारी चयन आयोग में अपने समकक्ष वेतनमान में नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई। उक्त अनुशंसा के आलोक में तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प ज्ञापांक–10801 दिनांक–03.10.2008 द्वारा उक्त 30 (तीस) कर्मियों को बिहार कर्मचारी चयन आयोग में तदर्थ रूप से आयोग में उनके कार्यरत रहने की तिथि–19.08.2004 के प्रभाव से राज्य सरकार में लागू समकक्ष वेतनमान एवं पद पर नियुक्त किया गया। संकल्प की कंडिका–5 में प्रावधान किया गया है कि "उक्त सभी कर्मियों की समायोजन के आधार पर नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग में दिनांक–19.08.2004 के प्रभाव से किया जा रहा है, जो अंशदायी पेंशन योजना के लागू होने की तिथि–01.09.2005 के पूर्व की तिथि है, अतः सभी कर्मी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होंगे।" संकल्प की कंडिका–6 में यह प्रावधान किया गया कि "समायोजन के आधार पर नियुक्त सभी कर्मियों की, नियुक्ति की तिथि (19.08.2004) के प्रभाव से, सेवा–शर्त्त वही होगी, जो राज्य सरकार के सेवा कर्मियों के लिए विहित है।" उक्त संकल्प की कंडिका–7 में यह प्रावधान किया गया है कि "समायोजन के आधार पर नियुक्त कर्मियों की नियुक्ति के पूर्व की सेवा की गणना किसी भी प्रयोजनार्थ वर्तमान नियुक्ति के पद के साथ नहीं की जायेगी, क्योंकि संशोधन अधिनियम में पूर्व की सेवा की गणना करने का कोई प्रावधान नहीं है और भंग विद्यालय सेवा बोर्ड के कर्मी पूर्व में सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते थे।"

3. सामान्य प्रशासन विभाग के इस संकल्प के विरुद्ध आयोग में समायोजन के आधार पर नियुक्त कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰ संख्या–16167/2009 एवं सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰ संख्या–16884/2009 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–02.09.2011 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त संकल्प की कंडिका–7 को "Set Aside" करते हुए उक्त कर्मियों के संबंध में तीन माह के अन्दर निर्णय लेने का आदेश दिया गया। उक्त न्यायादेश पर विद्वान महाधिवक्ता एवं वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–12137 दिनांक–22.07.2013 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि "भंग विद्यालय बोर्ड के बिहार कर्मचारी चयन आयोग में समायोजन के आधार पर नियुक्त कर्मियों की पूर्व की सेवा की गणना वर्तमान नियुक्ति के पद के साथ नहीं की जायेगी तथा उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा।"

4. पुनः भंग विद्यालय सेवा बोर्ड के समायोजित कर्मियों द्वारा दायर सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰ संख्या–10809/2014, डॉ॰ हीरा लाल सिंह एवं अन्य बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य तथा सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰ संख्या–448/2015, अरूण कुमार वर्मा एवं अन्य बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–07.02.2018 को पारित न्यायादेश में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा तीन माह के अन्दर वित्त विभाग के संकल्प संख्या–796

दिनांक–02.02.2018 में निहित प्रावधानों के आलोक में उक्त कर्मियों की सेवा–शर्त्त के निर्धारण का निदेश दिया गया है। उक्त न्यायादेश की कंडिका–5 में कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लिये जाने वाले निर्णय में इस विभाग की अधिसूचना संख्या–12137 दिनांक–22.07.2013 किसी भी रूप में आवेदकों के दावे को निर्धारित करने में बाधक नहीं बनेगा।

5. वित्त विभाग की संकल्प संख्या–796 दिनांक–02.02.2018 की कंडिका–5(ख) में राज्य के अन्तर्गत अधिनियम के अधीन गठित एवं विघटित बोर्ड के कर्मियों, जिनका समायोजन राज्य सरकार में हुआ हो, के संबंध में एक समरूप सेवा–शर्त्त का निर्धारण किया गया है– जिसके द्वारा बोर्ड में प्राप्त हो रहे वेतन, समायोजित पद के वेतनमान में संरक्षणीय होने, बोर्ड में की गई सेवावधि, पेंशन/वित्तीय उन्नयन के प्रयोजनार्थ गणनीय होने, बोर्ड में बिहार पेंशन नियमावली लागू रहने की स्थिति में समायोजन के पश्चात् समायोजित कर्मी के उसी नियमावली से शासित होने, जी०पी०एफ० एवं ई०पी०एफ० आदि के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं, किन्तु वित्त विभाग के इस संकल्प को आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी बनाया गया है। माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में विभागीय प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की गई है। वित्त विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया है कि "भंग विद्यालय सेवा बोर्ड की कार्यावधि में राज्य सरकार द्वारा जमा की गई सरकारी अंशदान की राशि सूद सहित वापस लौटाये जाने की शर्त्त पर इन्हें वेतन संरक्षण, वित्तीय उन्नयन के साथ ही इनकी पूर्व की सेवा की गणना पेंशन के प्रयोजनो के लिए की जा सकती है।"

6. अतः सम्यक् रूप से विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा विद्यालय सेवा बोर्ड की कार्यावधि में राज्य सरकार द्वारा जमा की गई सरकारी अंशदान की राशि सूद सहित वापस लौटाये जाने की शर्त्त पर, भंग विद्यालय सेवा बोर्ड के बिहार कर्मचारी चयन आयोग में समायोजित 30 (तीस) कर्मियों की बोर्ड में की गई नियमित सेवा की गणना, वेतन संरक्षण, वित्तीय उन्नयन (ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०) एवं पेंशन के प्रयोजनों के निमित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7. पूर्व में निर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–10801 दिनांक–03.10.2008 के प्रावधान इस हद तक संशोधित किये जाते हैं एवं विभागीय अधिसूचना संख्या–12137 दिनांक–22.07.2013 को रद्द किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ मुख्यमंत्री सचिवालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(अवनीश कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–21/एस०एस०सी०-71/2014 सा0प्र0...../पटना–15, दिनांक.....

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, (ई-गजट शाखा) को सी०डी० सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–21/एस०एस०सी०-71/2014 सा0प्र0 3215/पटना–15, दिनांक 8.3.19

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/आई०टी० प्रबंधक, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3

सरकार के उप सचिव।